राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री कुलदीप सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

1. जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2024/169
2. राजस्व वाद संख्या– 109/2024
3. दायर दिनांक–23.08.2025
4. निर्णय दिनांक– 10.09.2025

उनवानी–

1. अर्जुन पुत्र छीतर
2. किशना पुत्र छीतर
3. गुल्ला पुत्र छीतर
4. गोपी पुत्र छीतर
5. नन्दा पुत्र छीतर
6. बिलां पत्नि छीतर
7. हरजी पुत्र छीतर

सर्वजाति गुर्जर, सर्वनिवासी नरेना तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

....वादिया

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर

....प्रतिवादी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राज0 अधिनियम 1956

निर्णय

उपस्थिति– 1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी वकील प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त स्वामित्व, कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै राजस्व ग्राम नरेना पटवार हल्का जूणदा भू–अ0नि0 क्षेत्र भदूण तहसील रूपनगढ़ में स्थित हैं जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या नया 21 के ख0न0 64 रकबा 2.4281 हैक्ट0 भूमि प्रार्थीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। राज्य सरकार के नाम ग्राम नरेना में स्थित भूमि खसरा संख्या 63 रकबा 0.0162 है0 किस्म गै0मु0चाह है। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 64 रकबा 2.4281 है0 का पुराना नक्शा व वर्तमान ऑनलाईन नक्शा की कॉपी प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि का पुराने नक्शे में हो रखी तरमीम सहवन से गलत हो रखी है इसलिये प्रार्थीगण वर्तमान ऑनलाईन नक्शा में तरमीम सहवन से गलत दर्ज हो गयी है जिसको पुराने राजस्व नक्शा ट्रेस के अनुसार वर्तमान नक्शा में हो रखी गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी भूमिधारी होन से पक्षकार संयोजित किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। जवाब के पैरा संख्या 3 में पैरोकार सरकार ने ग्राम नरेना का नक्शा लट्ठा संवत् 2027 में ख0न0 63 व 64 का नक्शा सही अंकित है जिसे सेग्रीगेशन के बाद DILRMP योजना के तहत प्राप्त वर्तमान में काम में आ रहे नक्शे में गलत अंकित कर दिया है जिसे सही/दुरूस्त किया जाना उचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण में वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के ख0न0 63 व 64 को पूर्ववर्ती नक्शा संवत् 2027 अनुसार दुरूस्त करवाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार ने जवाब के तथ्यों को ही बहस माने जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम नरेना का नक्शा लट्ठा संवत् 2027 में ख0न0 63 व 64 का नक्शा व उक्त खसरा नम्बरान का वर्तमान नक्शा में भिन्नता सिद्ध होती है। अतः उक्त साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राज0 अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थीगण का ग्राम नरेना के ख0न0 63 व 64 में तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में दर्शित राजस्व नक्शा शुद्धि अनुसार नक्शा शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा दर्शित नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

कुलदीप सिंह शेखावत
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)